



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 अग्रहायण 1947 (श10)  
(सं० पटना 1744) पटना, सोमवार, 1 दिसम्बर 2025

सं० 06-सू०प्रा०-03/2024-2224  
सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प  
25 नवम्बर 2025

विषय:— बिहार राज्य को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने हेतु बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (Bihar Artificial Intelligence Mission) की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में।

**[Regarding approval for establishment of Bihar Artificial Intelligence Mission to develop Bihar as a leading State in the field of Artificial Intelligence]**

बिहार सरकार नये-नये तकनीकों का समावेश कर नवाचार के माध्यम से राज्य के विकास हेतु कृत संकल्पित है। वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में स्थापित हो रही है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि शोध, नवाचार एवं इस क्षेत्र के अग्रणी उद्योग एवं संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर राज्य को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) जैसे वैश्विक परिवर्तनकारी क्षमता रखने वाले क्षेत्र में बिहार राज्य एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित हो, जिससे राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय विकास को गति मिल सके।

2. उपरोक्त क्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) को उत्तरदायी एवं समावेशी बनाये रखते हुए इसमें निहित परिवर्तनकारी शक्तियों को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करने एवं नीति निर्धारण के उद्देश्य से बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (Bihar Artificial Intelligence Mission) का गठन अपेक्षित है।

**3. मिशन का मुख्य दायित्व निम्नवत् होगा :-**

- ए०आई० एवं उसके उपयोग से संबंधित नीति का निर्धारण तथा संस्थानीकरण।
- इस प्रक्षेत्र के अग्रणी उद्योगों/संस्थानों की सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से इनका चयन करना तथा राज्य में ए०आई० पारिस्थितिकी का निर्माण करना।
- राज्य में ए०आई० से संबंधित उत्कृष्टता केंद्रों Center of Excellence (CoE) की स्थापना करना। उक्त क्रम में भारत सरकार/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं उद्यमियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।
- कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन-व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, नगर विकास, परिवहन एवं उद्योग, लोक सेवा प्रदायगी आदि क्षेत्रों में ए०आई० से संबंधित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करना।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर शोध, पेटेंट तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- फेलोशिप, रेजिडेंसी तथा विशेषज्ञ विनिमय कार्यक्रम के माध्यम से दीर्घकालिक प्रतिभा को बढ़ावा देना।
- उत्तरदायी एवं ओपन डाटा को बढ़ावा देना ताकि पारदर्शिता तथा नागरिकों का विश्वास सुनिश्चित हो सके।
- राज्य के तकनीकी संस्थानों के माध्यम से शिक्षण कार्यक्रम चलाना जिससे कि ए०आई० आधारित प्रौद्योगिकी अनुकूलन को बढ़ावा मिले।
- Responsible AI Ecosystem के विकास से संबंधित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) की वैश्विक महत्ता एवं व्यापक प्रसार के मद्देनजर केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में AI-CoE की स्थापना करने की योजना है, जिस हेतु प्रति AI-CoE के लिए राशि रु० 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। AI-CoE की स्थापना पर होने वाली राशि का 40% इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, 40% राज्य सरकार एवं 20% Industry Partner द्वारा वहन किया जायेगा। Industry Partner का चयन सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा Nomination के माध्यम से किया जायेगा। High Population Category का राज्य होने के कारण बिहार में 03 (तीन) AI-CoE का प्रावधान किया गया है। तदालोक में प्रारम्भ में राज्य में 03 (तीन) AI-CoE की स्थापना की जाएगी।

5. बिहार AI मिशन के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में निम्न रूपेण एक उच्च स्तरीय समिति गठन किया जायेगा :-

| क्र०सं० | समिति के सदस्य                                                             | पदनाम      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1       | मुख्य सचिव, बिहार                                                          | अध्यक्ष    |
| 2       | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,<br>स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।          | सदस्य      |
| 3       | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,<br>शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।             | सदस्य      |
| 4       | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,<br>कृषि विभाग, बिहार, पटना।               | सदस्य      |
| 5       | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,<br>नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना। | सदस्य      |
| 6       | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,<br>उद्योग विभाग, बिहार, पटना।             | सदस्य      |
| 7       | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,<br>सूचना प्रवैधिकी विभाग, बिहार, पटना।    | सदस्य सचिव |
| 8       | AI क्षेत्र के लब्ध-प्रतिष्ठित विशेषज्ञ/शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि         | सदस्य      |
| 9       | चयनित कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि                                      | सदस्य      |

6. बिहार AI मिशन समिति को समय-समय पर योजना के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा, संशोधन एवं विस्तार करने का अधिकार होगा।

7. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के दायित्व निर्वहन में भी AI का उपयोग किया जायेगा, जिस हेतु Bihar State Electronic Development Corporation (BSEDC) द्वारा AI Based Automation के लिए Empanelled Consultants का उपयोग भी किया जाएगा।

8. वर्णित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने हेतु बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (Bihar Artificial Intelligence Mission) की स्थापना की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

9 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 25.11.2025 को मद् संख्या- 04 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अभय कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1744-571+1000-डी0टी0पी0  
Website : <https://egazette.bihar.gov.in>